अपील (खाद्य सुरक्षा) प्रकरण संख्या 14/2018(RCMS No. : 2018/00177) सुखवन्त सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, जाति कम्बोज सिख, निवासी 155 आरडीएएस तहसील अनूपगढ़ बनाम उपखण्ड अधिकारी (रसद), अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.01.2020

अपीलार्थी सुखवन्त सिंह उपस्थित नहीं हुआ। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी (रसद), अनूपगढ के आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। उपखण्ड अधिकारी (रसद), अनूपगढ ने अपीलार्थी सुखवन्त सिंह, चक 55 आर डी, ग्राम पंचायत 2 पीजीएम–बी को को खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के लिए अपात्र घोषित किया था।

उक्त प्रकरण में अपील पत्र में यह प्रार्थना की है कि उसका नाम खाद्य सुरक्षा में जोडने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिये गये लेकिन उसको बार–बार अपात्र घोषित किया जा रहा है, जबकि उसके पास कोई जमीन या मकान नहीं है और न ही माता–पिता के नाम कोई सम्पत्ति है। इसलिए उसने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी ने दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा लगाई गई अपील खाद्य सुरक्षा संख्या 14/2018 लगाई गई थी और उसमें उन्हें अब खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलने लग गया है, इसलिए उसके द्वारा लगाई गई अपील रद्द कर, वापिस दी जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार वह उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है और उक्त अपील यदि इसी स्तर पर खारिज की जाये तो उसे कोई आपत्ति भी नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी (रसद), अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर